इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 505] भोपाल, गुरूवार, दिनांक 24 नवम्बर 2011—अग्रहायण 3, शक 1933

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. 24417-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 31 सन् 2011) को विधान सभा में दिनांक 24 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३१ सन् २०११

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०११

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ३० का संशोधन.
४. धारा ३४ का संशोधन.
५. धारा ३५ का संशोधन.

खण्ड :

६. धारा ३६ का संशोधन.

७. धारा ४६ का संशोधन.

८. धारा ४७ का संशोधन.

९. धारा ४९ का संशोधन.

१०. धारा ५० का स्थापन.

११. धारा ५१ का संशोधन.

१२. धारा ५२ का संशोधन.

१३. धारा ५३ का संशोधन.

१४. धारा ५४ का स्थापन.

१५. धारा ५७ का संशोधन.

१६. धारा ५८-ख का अन्त:स्थापन.

१७. धारा ५९ का संशोधन.

१८. धारा ७८ का हटाया जाना.

१९. धारा ८१ का संशोधन.

२०. धारा ९७ का हटाया जाना.

२१. धारा ९८ का स्थापन.

२२. धारा ९९ का हटाया जाना.

२३. धारा १०० का स्थापन.

२४. धारा ११९ का संशोधन.

२५. धारा १२८ का संशोधन.

२६. धारा १३० का संशोधन.

२७. धारा १३२ का संशोधन.

२८. धारा १३३ का स्थापन.

२९. धारा १४३ का संशोधन.

३०. धारा १७२ का संशोधन.

३१. धारा २०० का संशोधन.

३२. धारा २२७ का संशोधन.

३३. धारा २३४ का संशोधन.

३४. धारा २३७ का संशोधन.

३५. धारा २४१ का संशोधन.

३६. धारा २४७ का संशोधन.

३७. धारा २४८ का संशोधन.

३८. धारा २५० का संशोधन.

३९. धारा २५३ का संशोधन.

४०. धारा २५७ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३१ सन् २०११

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ की उपधारा (१) में, खण्ड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ण क) "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, २००० के अधीन कलक्टर द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य;".

धारा ३० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (१) में, शब्द "कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, या तहसीलदार", के स्थान पर, शब्द "कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी" स्थापित किए जाएं.

धारा ३४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, खण्ड (ग) में, शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "एक हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा ३५ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (३) में, शब्द "आवेदन" के स्थान पर, शब्द "अपने शपथ-पत्र के साथ आवेदन" स्थापित किए जाएं.

धारा ३६ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएं, अर्थात्:—

परन्तु प्रत्येक पक्षकार को, प्रकरण की सम्पूर्ण सुनवाई के दौरान तीन से अनधिक स्थगन दिए जा सकेंगे और प्रत्येक स्थगन केवल खर्चे के साथ प्रदान किया जाएगा.

धारा ४६ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४६ के खण्ड (क) में शब्द, अंक और कोष्ठक "इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, १९०८ (१९०८ का सं. ९) के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक "परिसीमा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ३६) स्थापित किए जाएं.

धारा ४७ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४७ में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "पैंतालीस दिन" के स्थान पर, शब्द "तीस दिन" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "साठ दिन" के स्थान पर, शब्द "पैंतालीस दिन" स्थापित किए जाएं;

(तीन) खण्ड (ग) में, शब्द "नब्बे दिन" के स्थान पर, शब्द "साठ दिन" स्थापित किए जाएं;

(चार) प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की जा रही है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो, वहां ऐसे मामले में अपील उक्त अधिनियम के पूर्व की संहिता में उपबंधित समय-सीमा के भीतर ग्रहण की जाएगी.".

धारा ४९ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३) पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे:

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को, निपटाने के लिए प्रतिप्रेषित नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के पूर्व के, समस्त ऐसे मामले, जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को प्रतिप्रेषित किए गए हैं, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा सुने तथा विनिश्चित किए जाएंगे.".

धारा ५० का स्थापन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

पुनरीक्षण.

"५० (१) मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा दिए गए आवेदन पर या कलक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से किसी ऐसे मामले का जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किसी ऐसी कार्यवाही का जिसमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो, और जिसमें कोई अपील न होती हो, और यदि यह प्रतीत होता हो कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी—

(क) ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो, या

(ख) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या

(ग) ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता की है,

तो मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे:

परन्तु मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि,—

(क) ऐसा आदेश, यदि वह मण्डल को पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा करता हो, या

(ख) ऐसा आदेश, यदि वह प्रवृत्त रहता है, न्याय की विफलता या उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध यह किया गया था, अपूर्णनीय क्षति कारित करेगा.

(२) मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी इस धारा के अधीन, किसी ऐसे आदेश में, जिसके विरुद्ध या तो मण्डल को या उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को अपील होती हो, कोई फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा.

(३) राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी पुनरीक्षण का प्रभाव कार्यवाही को स्थगित करने वाला नहीं होगा, सिवाय जहां कि ऐसी कार्यवाही यथास्थिति मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा स्थगित की गई हो.

(४) पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन—

(क) इस संहिता के अधीन अपीलनीय किसी आदेश के विरुद्ध;

(ख) धारा २१० के अधीन बंदोबस्त आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध;

(ग) जब तक कि वह मण्डल को साठ दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, ग्रहण नहीं किया जाएगा:

परन्तु जहां ऐसा आदेश, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो, वहां ऐसे मामले में पुनरीक्षण, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ग्रहण किया जाएगा.

(५) किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकार पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो.

(६) उपधारा (१) में, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(एक) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियां मण्डल द्वारा प्रारंभ की गई हों, वहां उसके संबंध में कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(दो) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियां कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई हों, वहां इस धारा के अधीन ऐसे मामले के संबंध में मण्डल, यथास्थिति, कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा मामले के अंतिम निपटारे तक या तो विरत रहेगा या ऐसी कार्यवाहियां वापस ले सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए समस्त राजस्व अधिकारी मण्डल के अधीनस्थ समझे जाएंगे.''.

धारा ५१ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ५१ की उपधारा (१) के परन्तुक के, खण्ड (तीन) में, शब्द ''नब्बे दिन'' के स्थान पर, शब्द ''साठ दिन'' स्थापित किए जाएं तथा पूर्ण विराम के पश्चात् कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

परन्तु जहां ऐसा आदेश, जिसके कि विरुद्ध पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो, वहां ऐसे मामले में पुनर्विलोकन, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ग्रहण किया जाएगा.

धारा ५२ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ५२ में,—

(एक) उपधारा (२) में पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जाएगा.'';

(दो) उपधारा (३) में पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जाएगा.''.

धारा ५३ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ५३ में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, १९०८ (१९०८ का संख्यांक ९)'' के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''परिसीमा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ३६)'' स्थापित किए जाएं और शब्द ''पुनर्विलोकन'' के स्थान पर, शब्द ''पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण'' स्थापित किए जाएं.

धारा ५४ का स्थापन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ५४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

पुनरीक्षण का लंबित रहना.

''५४. इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी समस्त कार्यवाहियां जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण में लंबित हों, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी जाएंगी तथा विनिश्चित की जाएंगी मानो कि यह संशोधन अधिनियम पारित ही न हुआ हो.''.

धारा ५७ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ५७ में,—

(एक) उपधारा (२) में, शब्द ''उपखण्ड अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य सरकार'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) तथा (४) का लोप किया जाए.

धारा ५८-ख का अंत:स्थापन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ५८-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

निर्धारित भू-राजस्व का आधा भू-राजस्व अनन्यरूपेण सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की किसी परियोजना के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए खाते के लिए ही देय होगा.

''५८-ख. (१) इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारित भू-राजस्व का केवल आधा भू-राजस्व अनन्यरूपेण सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की किसी परियोजना के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए दो हेक्टर तक के खाते के बारे में देय होगा.

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए, कलक्टर हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् विनिश्चित करेगा कि संबंधित खाता सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की परियोजना का है.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, सूक्ष्म उद्यम तथा लघु उद्यम के वही अर्थ होंगे जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) की धारा ७ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उनके लिए दिए गए हैं.''.

धारा ५९ का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की धारा ५९ की उपधारा (१) में, खण्ड (क) से (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''(क) कृषि या ऐसे प्रक्षेत्र गृह (फार्म हाऊस) के प्रयोजन के लिए उपयोग जो एक एकड़ या अधिक के खाते पर स्थित है;

(ख) निवास-गृहों के लिए स्थानों के रूप में उपयोग;

(ग) शैक्षणिक प्रयोजन के लिए उपयोग;

(घ) औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग;

(ङ) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग;

(च) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५९ का ६७) के अर्थ के अंतर्गत खनन पट्टे के अधीन खनन के प्रयोजन के लिए;

(छ) उपरोक्त मद (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग.''.

धारा ७८ का हटाया जाना.

१८. मूल अधिनियम की धारा ७८ का लोप किया जाए.

धारा ८१ का संशोधन.

१९. मूल अधिनियम की धारा ८१ में,—

(एक) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४) गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की गई भूमि पर उचित निर्धारण धारा ५९ के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नियत किया जाएगा.";

(दो) उपधारा (६) का लोप किया जाए.

धारा ९७ का हटाया जाना.

२०. मूल अधिनियम की धारा ९७ का लोप किया जाए.

धारा ९८ का स्थापन.

२१. मूल अधिनियम की धारा ९८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

उचित निर्धारण.

"९८. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही भूमियों का उचित निर्धारण धारा ८१ में दिए गए सिद्धांतों और निर्बंधनों के अनुसार संगणित तथा नियत किया जाएगा और गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही भूमियों का, उचित निर्धारण धारा ५९ के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, नियत किया जाएगा.".

धारा ९९ का हटाया जाना.

२२. मूल अधिनियम की धारा ९९ का लोप किया जाए.

धारा १०० का स्थापन.

२३. मूल अधिनियम की धारा १०० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

पुनरीक्षण के समय उचित निर्धारण का नियत किया जाना.

"१००. उन भूमियों की दशा में, जिन पर कि निर्धारण किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो जिसके कि संबंध में उनका निर्धारण पुनरीक्षण के ठीक पूर्व किया जा चुका था, वह निर्धारण जो कि इस प्रकार संगणित किया गया हो, कृषि भूमि की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, डेढ़ गुने से अधिक होता हो तथा अन्य भूमियों की दशा में, उस भू-राजस्व या लगान के, जो पुनरीक्षण के ठीक पूर्व देय हो, छह गुने से अधिक होता हो, तो निर्धारण कृषि भूमि की दशा में, ऐसे भू-राजस्व या लगान के डेढ़ गुने के हिसाब से तथा अन्य भूमियों की दशा में, ऐसे भू-राजस्व या लगान के छह गुने के हिसाब से नियत किया जाएगा:

परन्तु जहां कृषि के प्रयोजन के लिए धारित किसी खाते में उसके धारक द्वारा या उसके धारक के व्यय पर किसी भी समय कोई सुधार किया गया हो, वहां ऐसे खाते का निर्धारण इस प्रकार नियत किया जाएगा मानो कि वह सुधार किया ही नहीं गया था.".

धारा ११९ का संशोधन.

२४. मूल अधिनियम की धारा ११९ की उपधारा (१) में, शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "एक हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा १२८ का संशोधन.

२५. मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (२) में, शब्द "एक रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.

धारा १३० का संशोधन.

२६. मूल अधिनियम की धारा १३० में, शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "एक हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा १३२ का संशोधन.

२७. मूल अधिनियम की धारा १३२ में, शब्द ''एक हजार'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा १३३ का स्थापन.

२८. मूल अधिनियम की धारा १३३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

बाधा का हटाया जाना.

''१३३. यदि किसी तहसीलदार को यह प्रतीत हो कि कोई बाधा किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में अड़चन डालती है या जिससे किसी ऐसी सड़क या जल सरणी या जल स्त्रोत में, जो धारा १३१ के अधीन किसी विनिश्चय का विषय रहा हो, अड़चन पड़ती है, तो वह ऐसी बाधा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उसे हटाने का आदेश दे सकेगा और, यदि ऐसा व्यक्ति उस आदेश का अनुपालन न करे तो वह उस बाधा को हटवा सकेगा और उसके हटाए जाने का खर्च ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा तथा ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के ऐसे लिखित आदेश के अधीन, जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का कथन किया गया हो, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपये तक की हो सकेगी.''.

धारा १४३ का संशोधन.

२९. मूल अधिनियम की धारा १४३ में, शब्द ''दस'' के स्थान पर, शब्द ''सौ'' स्थापित किए जाएं.

धारा १७२ का संशोधन.

३०. मूल अधिनियम की धारा १७२ में,—

(एक) उपधारा (४) में, शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत'' स्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (५) में, शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत'' तथा शब्द, ''एक सौ रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं.

धारा २०० का संशोधन.

३१. मूल अधिनियम की धारा २०० में, शब्द ''दो सौ'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा २२७ का संशोधन.

३२. मूल अधिनियम की धारा २२७ में, शब्द ''बीस'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार''

धारा २३४ का संशोधन.

३३. मूल अधिनियम की धारा २३४ में,—

(एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) निस्तार पत्रक का प्रारूप ग्राम में प्रकाशित किया जाएगा और ग्राम सभा की इच्छाओं को अभिनिश्चित करने के पश्चात् उसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा.'';

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) ऐसे अंतिम निस्तार पत्रक की एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी.''.

(तीन) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(४) ग्राम सभा द्वारा उसके उपस्थित तथा मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प पर, उपखण्ड अधिकारी, कलक्टर की पूर्व अनुमति से तथा ऐसी किसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे,—

(क) निस्तार पत्रक की प्रविष्टि में परिवर्तन कर सकेगा;

(ख) ग्रामवासियों के अतिरिक्त निस्तार पत्रक के अधिकारों को पूरा करने के लिए निस्तार पत्रक की किसी प्रविष्टि के अधीन अतिरिक्त दखल रहित भूमि अभिलिखित कर सकेगा.''.

धारा २३७ का संशोधन.

३४. मूल अधिनियम की धारा २३७ में,—

(एक) उपधारा (२) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलक्टर, उपधारा (१) के खण्ड (ख) में वर्णित भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात्, उपधारा (१) में वर्णित ऐसी दखल रहित भूमि को आबादी सड़कों, राजमार्गों, नहरों, तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गौशालाओं के निर्माण या अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओं के लिए, जैसी की राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाए, व्यपवर्तित कर सकेगा:

परन्तु उपधारा (१) में वर्णित प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई भूमि किसी भी व्यक्ति को कृषिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित या आबंटित नहीं की जाएगी.'';

(तीन) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(४) जब उपधारा (१) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए पृथक् से रखी गई भूमि का, ऐसी विकास और अधोसंरचना परियोजनाओं जो राज्य सरकार के स्वामित्व की हैं या अनुमोदित हैं, किन्तु उपधारा (३) के अधीन नहीं आती है, व्यपवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, तो कलक्टर, उपलब्ध विकल्पों पर अपना समाधान कर लेने के पश्चात् और संबंध परियोजनाओं से उन्हीं निस्तार अधिकारों की पूर्ति करने के लिए समतुल्य क्षेत्र की भूमि अभिप्राप्त कर लेने पर भी इस आशय को तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए, ऐसे प्रयोजन के लिए भूमि व्यपवर्तित कर सकेगा.''.

धारा २४१ का संशोधन.

३५. मूल अधिनियम की धारा २४१ की उपधारा (४) में, शब्द ''पांच हजार'' के स्थान पर, शब्द ''पचास हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा २४७ का संशोधन.

३६. मूल अधिनियम की धारा २४७ में,—

(एक) उपधारा (७) में, शब्द ''दुगुने'' के स्थान पर, शब्द ''चार गुने'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (७) के परंतुक का लोप किया जाए.

धारा २४८ का संशोधन.

३७. मूल अधिनियम की धारा २४८ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी अधिक्रमित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत'' तथा शब्द ''बीस रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''गैर नगरीय क्षेत्रों में पांच सौ रुपये और नगरीय क्षेत्रों में दो हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (२-ए) में, शब्द ''तीन मास'' के स्थान पर, शब्द ''छह मास'' स्थापित किए जाएं.

धारा २५० का संशोधन.

३८. मूल अधिनियम की धारा २५० में,—

(एक) उपधारा (६) में, शब्द ''दो सौ पचास'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (९) में शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (९) के परंतुक का लोप किया जाए.

धारा २५३ का संशोधन.

३९. मूल अधिनियम की धारा २५३ में, शब्द ''पांच हजार'' के स्थान पर, शब्द ''पचास हजार'' स्थापित किए जाएं.

धारा २५७ का संशोधन.

४०. मूल अधिनियम की धारा २५७ में, खण्ड (क) को खण्ड (क-१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क-१) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया, जाए, अर्थात्:—

''(क) राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच धारा ५७ की उपधारा (१) के अधीन किसी अधिकार के संबंध में कोई विनिश्चय;''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्व मामलों का तत्परता से न्यायनिर्णयन करने, राज्य सरकार के स्तर पर भूमि के अधिकारों से संबंधित विवादों में न्यायनिर्णयन करने, सरकारी भूमि के दोषपूर्ण अन्य संक्रामण की जांच करने, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को, उन्हें पुनर्निधारित भू-राजस्व में रियायत देकर बढ़ावा देने तथा जुर्मानों के विद्यमान उपबंधों को पुनरीक्षित करने तथा उनमें वृद्धि करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में कतिपय संशोधन प्रस्तावित हैं. औद्योगिक तथा जन उपयोगी परियोजनाओं की स्थापना को सुगम बनाने की दृष्टि से निस्तार पत्रक तैयार किए जाने से संबंधित तथा निस्तार पत्रक के किसी शीर्ष में यथा अभिलिखित चरनोई तथा अन्य भूमि के व्यपवर्तन से संबंधित विद्यमान उपबंधों को फिर से बनाने के लिए भी उक्त अधिनियम में समुचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

(१) खण्ड २—भूमि का बाजार मूल्य कलक्टर द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अवधारित किया जाएगा.

(२) खण्ड ३—तहसीलदार, राजस्व मामलों को, अधीनस्थों को अंतरित नहीं करेंगे.

(३) खण्ड ६—राजस्व मामलों की सुनवाई के दौरान प्रत्येक पक्षकार को खर्च सहित केवल तीन स्थगन प्रदान किए जा सकेंगे.

(४) पुनरीक्षण के आवेदन केवल राजस्व मण्डल द्वारा सुने जा सकेंगे.

(५) खण्ड ९—अपील, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के लिए समय-सीमा कम की गई है.

(६) खण्ड १०—कोई मामला प्रतिप्रेषित नहीं किया जाएगा.

(७) खण्ड १३—आदेशों का निष्पादन एक बार में तीन मास से अधिक के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा.

(८) खण्ड १६ और ४२—राज्य सरकार और निजी व्यक्तियों के बीच में भूमि अधिकारों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है. ऐसे मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता वर्जित की गई है.

(९) खण्ड १७—निर्धारित भू-राजस्व का आधा भू-राजस्व अनन्यरूपेण सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले दो हेक्टर तक के खाते के बारे में देय होगा.

(१०) खण्ड १८—भू-राजस्व के निर्धारण के लिए, कृषि भूमि के, व्यपवर्तन को, निवास के प्रयोजन, शैक्षणिक प्रयोजन, औद्योगिक प्रयोजन, वाणिज्यिक प्रयोजन, खनन प्रयोजन तथा अन्य प्रयोजनों में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा.

(११) खण्ड २४—भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर भू-राजस्व के निर्धारण के लिए उपबंध समायोजित किए गए हैं.

(१२) खण्ड २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३२, ३३, ३४, ३७, ३८, ३९, ४० तथा ४१-संहिता में विद्यमान जुर्मानों के उपबंधों को पुनरीक्षित किया गया है तथा उनमें वृद्धि की गई है तथा अधिक्रमण और भूमि के अवैध व्यपवर्तन के मामलों में जुर्माने की मात्रा को भूमि के बाजार मूल्य से जोड़ा गया है.

(१३) खण्ड ३५—ग्राम सभा की सहमति से तथा कलक्टर की पूर्व मंजूरी से, उपखण्ड अधिकारी को, ग्राम के निस्तार पत्रक की प्रविष्टियों में परस्पर परिवर्तन करने के साथ ही उसमें अतिरिक्त दखलरहित भूमि को अभिलिखित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

(१४) खण्ड ३६—कलक्टर को, चरनोई की भूमि तथा निस्तार पत्रक में अभिलिखित अन्य भूमि के २ प्रतिशत से अधिक का केवल जन उपयोगी परियोजनाओं के लिए व्यपवर्तित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

(१५) खण्ड ३६—कलक्टर को, निस्तार पत्रक में अभिलिखित भूमि का, ऐसी विकास तथा अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए, जो कि जन उपयोगी परियोजनाएं नहीं हैं, उन्हीं निस्तार अधिकारों की पूर्ति करने के लिए समतुल्य क्षेत्र की भूमि अभिप्राप्त कर लेने पर, व्यपवर्तन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

(१६) अन्य संशोधन पारिणामिक स्वरूप तथा गौण प्रकृति के हैं, जिनके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १९ नवम्बर, २०११.

करण सिंह वर्मा
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011